Special Lok Adalat scheduled to be held on 27th April 202 at Civil Court, Giridih.

SPECIAL LOK ADALAT

A meeting was held under the guidance of **Hon'ble Sri Manoj Prasad, Principal District & Sessions Judge cum Chairman,DLSA Giridih** for preparation and strategy related to **Special Lok Adalat** scheduled to be held on 27.04.2024.

In picture: **Hon'ble Sri Manoj Prasad, Principal District & Sessions Judge cum Chairman,DLSA Giridih**(in the left)**,Smt. Sonam Vishnoi, Secretary, DLSA, Giridih, Sri Piyush Srivastava, District & Addl. Sessions Judge- IV**, **Sri Yashwant Prakash, District & Addl. Session Judge-VIII** and other stakeholders.

Media Coverage

आगामी 27 अप्रैल 2024 को होने वाले विशेष लोक अदालत को लेकर बैठक का आयोजन

- बिजली एवं एन आई एक्ट (चेक बाउंस) के मामलों को अधिक से अधिक निष्पादित करने हेतु विभाग के पदाधिकारी को दिया निर्देश

उज्जवल दुनिया

गिरिडीह (आगामी 27 अप्रैल 2024 को होने वाले विशेष लोक अदालत को लेकर शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रकोष्ठ में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह मनोज प्रसाद के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दो बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बिजली से संबंधित मामले एवं एन आई एक्ट (चेक बाउंस) के मामलों को अधिक से अधिक निष्पादित करने हेतु विभाग के पदाधिकारी एवं न्यायिक दंडाधिकारी उपस्थित रहे। अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के लिए संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी के साथ किया गया अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन किया जा सके। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम यशवंत प्रकाश , जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पीयूष श्रीवास्तव न्यायिक दंडाधिकारी श्री इशराक जिया खान एवं श्रीमती पायल झा उपस्थिति रही।

रांची, 25 अप्रेल 2024 **10**

व्यवहार न्यायालय गिरिडीह में आगामी 27 अप्रैल 2024 को विशेष लोक अदालत होगी आयोजित

- शनिवार को सुबह 7:30 बजे पूर्वाह्न से 12:30 अपराह्न तक विद्युत अधिनियम एवं चेक बाउन्स के मामले होंगे निष्पादित

उज्जवल दुनिया

झालसा रांची के निदेर्शानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह मनोज प्रसाद के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सचिव महोदया के द्वारा व्यवहार न्यायालय गिरिडीह में आगामी 27 अप्रैल 2024 (शनिवार) समयः 7:30 बजे पूर्वाह्न से 12:30 अपराह्न तक होने वाले विशेष लोक अदालत को लेकर जानकारी दी गयी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सचिव सोनम विशनोई ने कहा कि झालसा रांची के निदेर्शानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष गिरिडीह के मार्गदर्शन में व्यवहार न्यायालय गिरिडीह विशेष लोक अदालत का आयोजन शनिवार सुबह 7:30 बजे पूर्वाह्न से 12:30 अपराह्न तक किया जाना है। जिसमें विद्युत अधिनियम और चेक बाउन्स के मामलों का निष्पादन किया जाएगा। विद्युत अधिनियम से संबंधित मामले, एन. आई. एक्ट (चेक बाउन्स) से संबंधित मामले उपरोक्त वादों से संबंधित मामलों को दिनांक 15.04.2024 से संबंधित न्यायालय/विभाग से सम्पर्क कर विशेष लोक अदालत में निष्पादित करायें एवं इस सुअवसर का लाभ उठायें जा रही हैं।

विशेष लोक अदालत

दिनांक 27 अप्रैल 2024 (शनिवार) समयः 7:30 बजे पूर्वाह्न से 12:30 अपराह्न तक

स्थान – व्यवहार न्यायालय, गिरिडीह

विदित हो कि झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झारखण्ड), राँची के नेतृत्व मे जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह के द्वारा दिनांक –27.04.2024, दिन-शनिवार, समय–7:30 बजे पूर्वाह्न से 12:30 अपराह्न तक व्यवहार न्यायालय परिसर, गिरिडीह मे विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमे निम्नलिखित मामलो का निष्पादन किया जाएगा।

1. विद्युत अधिनियम से संबंधित मामले
2. N.I. एक्ट (चेक बाउन्स) से संबंधित मामले उपरोक्त वादों से संबंधित मामलों को दिनांक 15.04.2024 से संबंधित न्यायालय/विभाग से सम्पर्क कर विशेष लोक अदालत में निष्पादित करायें एवं इस सुअवसर का लाभ उठायें।

इस संबंध में अन्य जानकारी हेतु

हेल्पलाईन नम्बर– 917319853377

या सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह

हेल्पलाईन नम्बर– 917319853377

Email Id :dlsagiridih@gmail.com से सम्पर्क करें।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह द्वारा जनहित में जारी ...

<u>A bench of **Sri Yashwant Prakash**- District & Addl. Session Judge-VIII for Electricity Cases on 27.04.2024</u>

हिन्दुस्तान

लोक अदालत में 365 मामलों का हुआ निष्पादन

अपने-अपने मामलों का निष्पादन कराते पक्षकार।

गिरिडीह, प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत एवं मासिक लोक अदालत का संयुक्त रूप से आयोजन किया गया। लोक अदालत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद के मार्गदर्शन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सोनम बिश्नोई की अगुवाई में आयोजित हुआ।

इसमें विद्युत वाद एवं चेक बाउंस के कुल 365 मामलों का निष्पादन किया गया। विद्युत वाद के 238 वादों के निष्पादन से 436 अभियुक्तों को राहत पहुंची है। इसमें 7 लाख 19 हजार रुपये सुलहनीय राशि रही। वहीं चेक बाउंस के 27 मामलों का निपटारा किया गया। इसमें हजार 529 रुपए रही। मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से पक्षकारों को अपने मामलों में त्वरित निष्पादन का लाभ तो मिलता ही है साथ ही साथ न्यायालय का बोझ भी कम होता है। आमजनों एवं पक्षकारों को इस विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का निष्पादन करवाने के लिए उन्होंने बधाई दी और कहा कि पक्षकार न्यायालय के द्वारा समय-समय पर लगाए जा रहे इस प्रकार के आयोजनों में शरीक होकर अपने मामलों को निष्पादित कराएं तथा अपने समय एवं धन की बचत करें। प्राधिकार की सचिव सोनम बिश्नोई ने कहा कि गिरिडीह न्याय मंडल द्वारा इस विशेष लोक अदालत को सफल बनाने हेतु

शहर

प्रभात खबर
धनबाद, रविवार
28.04.2024 | 02

आज सूर्यास्त 06:11 बजे | कल सूर्योदय 05:13 बजे

prabhatkhabar.com

विशेष लोक अदालत में 360 मामलों का निष्पादन

91.23 लाख रुपये राजस्व की उगाही

व्यवहार न्यायालय में किया गया आयोजन

प्रेसवार्ता में जानकारी देते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तथा अदालत में उमड़ी भीड़.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार का मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम